विविध पत्रावली 2025/006

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सुभाष चन्द्र बनाम किशोरी लाल व अन्य

प्रकरण संख्या 2025/013

online #

अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
11.02.2025	वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 12 मार्च, 2025 को पेश हो.	
12-3-25	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/4/25 को पेश हो	
	[illegible] अधिवक्ता [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 28/5/25 को [illegible]	
28/05/25	अधिवक्ता वादी उप। वादी द्वारा स्वयं उप आकर आवेदन पत्र "मैं पत्रावली के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता, इसी पत्र पर निरस्त करवाना चाहता हूं" की पैरवी करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा की गई। चूंकि वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण वापस लिया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम की जाकर निर्णय [illegible] के शामिल हो	मैं पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। इस पत्र पर निरस्त करवाना चाहता हूँ। सुभाषचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:22:25 IST
Reason: SelfAttested